

जसविन्द्र सिंह बनाम बाजासिंह

प्रकरणसंख्या 89/2019

21.05.2025 अधिवक्ता उभयपक्ष उपरिथत। प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 03 सुरजीतकौर का देहान्त दिनांक 04.07.2020 को हो चुकी है जिसके जायज वारिसान निम्न है:-

1. जसवंत सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी मूलेयावाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. गुरचरण सिंह पुत्र कलवन्त सिंह निवासी मूलेयावाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. छिन्दोबाई पत्नी विक्रम सिंह पुत्री कलवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी गांव पतरेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. सोमाबाई पत्नी कलवन्त सिंह पुत्री कलवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी गांव पतरेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 के स्थान पर उसके कायम मुकाम बनाया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत नो ओब्जेक्शन किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 के स्थान पर उसके जायज वारिसान को प्रतिवादी संख्या 3.1 ता 3.4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 26.05.2025 को पेश हो। ✍

